

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

संख्या 333

दिनांक 23.1.15

~~इस्टर्न स्टेट कन्सल्टेशन एंड डेवेलपर्स प्रा. लि.~~
~~403, गुप्ता टावर, रेडियन रोड, कचहरी चौक, शंभू~~

झारखण्ड सरकार, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का कार्यालय, शंभू।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदधीन बनी नियमावली के अधीन इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 100 (एक सौ) कामगारों के नियोजन के लिए मजूर किया जाता है।

(क) स्थापना में किये जानेवाले कार्य का स्वल्प :- लिफ्टिंग कन्सल्टेशन कार्य।



स्थापना में किये जानेवाले :-

कार्य का स्वल्प जिसमें ठेका मजदूर नियोजित हैं या नियोजित किये जायेंगे।	हरेक ठेकेदारों के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जानेवाले ठेका मजदूर की अधिकतम संख्या।	ठेका मजदूरी नियोजन के संबंध में अन्य व्यौरें।
---	--	--

1.

2.

3.

4.

शिव प्रसाद गुप्ता

शिव बिल तथा
दस्तावेज

(Signature)
 रजिस्ट्रीकर्ता पदाधिकारी
 ठेका मजदूर (वि० एवं उ०) अधि-
 1970, शंभू

रजिस्ट्रीकर्ता पदाधिकारी
 हस्ताक्षर एवं मुहर